

## मृत्युदंड पर SC का संदर्भ

### प्रलिस के लयः

मृत्युदंड, भारतीय दंड संहतल, बचचन सहल बनाम पंजाब राज्य ।

### मेन्स के लयः

भारत में मृत्युदंड के पक्ष और वरलध में तरक, मृत्युदंड पर SC का संदर्भ ।

## चरचा में क्युँ?

हाल ही में [सरवुच न्यायालय \(SC\)](#) ने एक बड़ी बेंच को मृत्युदंड देने के मानदंडु से संबधतल मुदुु को संदर्भतल कयल है ।

## न्यायालय का आदेशः

- सरवुच न्यायालय की तीन-न्यायाधीशु की पीठ का वर्तमान संदर्भ में पाँच-न्यायाधीशु की पीठ में रूपांतरण इस तरक पर आधारतल है कएक ही दनल में सज़ा की प्रकरयल आरोपी के खललफ नरलशाजनक रू से झुकी हुई है ।
- पीठ ने कहा कल राज्य को मुकदमे की पूरी अवधलके दुरान अभयुक्तुु के खललफ आपततजनक परसलथतलथलु को पेश करने का अवसर दयल जाला है ।
- दूसरी ओर, आरोपी अपनी दुषसदलधलके बाद ही अपने पक्ष में परसलथतलथलु को कम करने वाले साक्ष्य पेश करने में सक्षम हुते हैं ।

## मुददलः

- सज़ा की सुनवाई कब और कैसे हुनी चाहयल, इस पर परस्पर वरलधी नरलणय हैं ककयल सज़ा के नरलधरण पर कार्यवाही नरलणय के दनल ही हुनी चाहयल यल कुछ दनल बाद ।
- यह मुददल उन लुगु को अरुथपूरण अवसर देने से संबधतल है जो मृत्युदंड के दुषी पाए गए हैं और वे मृत्युदंड के बजलय आजीवन कारावास के संबध में बेहतर दललल जैसे कारकु और परसलथतलथलु को पेश कर सकुँ ।
- मुददल कानूनी आवशुकतल से उत्पन्न हुता है कजब भी कुई न्यायालय दुषसदलधलदरुज करता है, तु उसे सज़ा के सुतर को लेकर अलग से सुनवाई करनी हुती है ।

## कानून और नरलणय कयल हैं?

- **दंड प्रकरयल संहतल (CrPC)** की धारा 235 के अनुसार, यदल आरोपी को दुषी ठहरायल जाला है, तु न्यायाधीश सज़ा के सवाल पर आरोपी की सुनवाई करेगा और फरल सज़ा सुनाएगा ।
  - यह प्रकरयल तब महतुवपूरण हु जाती है, यदल दुषसदलधल कुसी ऐसे अपराध के लयल है जसलमें मृत्यु यल आजीवन कारावास शलमलल है ।
- धारा 354(3) के अनुसार, मृत्युदंड यल आजीवन कारावास के मामले में नरलणय में यह बतलना हुगा कल सज़ा क्युँ दी गई ।
- यदल सज़ा, मृत्युदंड है तु नरलणय में "वशलष कारण" परदान करना हुगा ।
- 1980 में सरवुच न्यायालय ने '[बचचन सहल बनाम पंजाब राज्य](#)' में मृत्युदंड की संवैधानकतल को इस शरत पर बरकरार रखा कल यह सज़ा "दुरलभतम से दुरलभतम" मामलु में दी जलएगी ।
  - महतुवपूरण रू से न्यायालय ने यह भी जुर दयल कल सज़ा की सुनवाई अलग से हुगी, जहुँ एक न्यायाधीश को इस बात पर राजी करने की कुशशल की जलएगी कल मृत्युदंड क्युँ नहुँ दयल जलना चाहयल ।
- न्यायालय के कुई बाद के फैसलु में इस सुथतलल को दुहरायल गया थल, जसलमें 'मटु बनाम पंजाब राज्य', 1982 में पाँच न्यायाधीशु की बेंच ने अनवलर्य मृत्युदंड को खलरज कर दयल थल, क्युँकल यह सज़ा देने से पहले कुसी आरोपी के सुनवाई के अधकलर का उलुंघन करता है । .

## नरलणय के दनल ही सज़लः

- भले ही सभी मुकदमों में सज़ा पर एक अलग सुनवाई का अभ्यास किया जाता है, लेकिन अधिकांश न्यायाधीश ऐसे मामले को दोबारा नरिणय के लिये भवषिय की तारीख के लिये स्थगति नहीं करते हैं।
- जैसे ही 'दोषी' पर फ़ैसला सुनाया जाता है, न्यायालय दोनों पक्षों के वकील से सज़ा पर बहस करने के लिये कहता है।
- एक वचिार है कि मृत्युदंड संबंधी नरिणय 'एक ही दिन में देने' से प्रतविादी को अपर्याप्त समय मलिता है और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि दोषियों की सज़ा को कम करने वाले कारकों को इकटठा करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मलिता है।
- नरिणयों की एक शृंखला में सर्वोच्च न्यायालय ने वकालत की है कि सज़ा की सुनवाई अलग से की जाए, यानी दोषसिद्धि के बाद भवषिय की तारीख में।
- हालाँकि एक तरह के वरिधाभास के रूप में कई नरिणयों ने 'एक ही दिन' सज़ा देने की प्रथा को बरकरार रखा है।

## संभावति परणाम:

- सज़ा के नरिणय संबंधी परस्थितियों और कारकों पर संवधान पीठ व्यापक दशिा-नरिदेश नरिधारति कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के लिये सज़ा सुनाने से पहले आरोपी को बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी बना सकता है।
- न्यायालय मनोवैज्ञानिकों और मनोवश्लेषणात्मक वश्लेषज्जों की मदद का मसौदा तैयार कर सकता है।
  - सज़ा प्रक्रिया के हसिसे के रूप में आरोपी के बचपन के अनुभवों और पालन-पोषण, परिवार का मानसिक स्वास्थय इतहिस एवं दरदनाक अतीत के अनुभव तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की संभावना का अधयन करना अनविर्य हो सकता है।
- इसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को वर्तमान कार्य प्रणालियों के वपिरीत बेहतर तरीके से सूचति कथिा जाएगा, जब केवल बुनयिादी डेटा जैसे कि शैकषिक और आर्थिक स्थतिकिा पता लगाने से पहले सज़ा सुनाई जाती है।

## मृत्युदंड:

- मृत्युदंड सज़ा का कठोरतम रूप है। यह दंड मानवता के वरिद्ध नृशंस और जघन्य अपराधों के लिये दथिा जाता है।
  - भारतीय दंड संहतिा के तहत वे कुछ अपराध, जनिके लिये अपराधियों को मौत की सज़ा दी जा सकती है:
    - हत्या (धारा 302)
    - डकैती (धारा 396)
    - आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B)
    - भारत सरकार के वरिद्ध युद्ध या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुषप्रेरण करना (धारा 121)
    - वदिरोध का उन्मूलन (धारा 132) और अन्य।
- मृत्युदंड के लिये 'डेथ पेनाल्टी' और 'कैपिटल पनशिमैट' शब्द का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर होता रहा है, हालाँकि हमेशा ही अनविर्य रूप से इस दंड का कर्थिान्वयन नहीं होता है। इसे भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास या कषमा में रूपांतरति कथिा जा सकता है।
- **आगे की राह**
  - सुनवाई इस बहस को प्रभावी ढंग से सुलझाएगी कि कथिा ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सज़ा देने वाली तीवर सुनवाई- कुछ मामलों में कुछ दिनों में- कानूनी रूप से मान्य है।
  - मौत की सज़ा का नरिधारण करने वाले मानकों के स्तर को बढ़ाने की दशिा में भी यह फ़ैसला एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
  - सज़ा का उद्देश्य केवल अपराधी को खत्म करना नहीं बल्कि अपराध को समाप्त करने पर भी होना चाहिये। आपराधिक कानून में सज़ा का उद्देश्य, यदा व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक व्यवस्थति समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपराधी और पीड़ति के अधिकारों को संतुलति करके शांति बहाली सुनश्चिति करने और भवषिय में होने वाले अपराधों को रोकने की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. मृत्युदंड की सज़ा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी के उदाहरण न्याय से इनकार के रूप में सार्वजनिक बहस का मुद्दा रहे हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु राष्ट्रपति के लिये कोई समय-सीमा नरिधारति होनी चाहिये? वश्लेषण कीजयिे। (2014)

## स्रोत: द हद्वि